प्रेस विज्ञप्ति
24/08/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने एपीएसबीसीएल शराब परिवहन घोटाले में प्रमुख सूत्रधार के रूप में कार्य करने के आरोप में नागरिक आपूर्ति के पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 23.08.2026 को गिरफ्तार किया है। उन्हें 24.08.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा माननीय विशेष न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने यह जांच आंध्र प्रदेश सीआईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एफआईआर के आधार पर प्रारंभ की थी। यह एफआईआर आंध्र प्रदेश सरकार के अतिरिक्त सचिव (सतर्कता) की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें एपीएसबीसीएल शराब परिवहन घोटाले के कारण सरकारी खजाने को 195.33 करोड़ रुपये की हानि होने का आरोप है।

ईडी की जांच में सामने आया कि आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) की शराब परिवहन निविदा की शर्तों में जानबूझकर बदलाव किया गया और उन्हें चुनिंदा संस्थाओं, अर्थात् एम/एस सिग्मा सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएससीएसपीएल) और बाद में एम/एस प्रसाद ट्रांसपोर्ट्स के पक्ष में तैयार किया गया। ये संस्थाएं केवल फ्रंट संस्थाओं के रूप में कार्य कर रही थीं, जबकि वास्तविक परिचालन एवं वित्तीय नियंत्रण केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, डोंतिरड्डी वासुदेव रेड्डी तथा उनके सहयोगियों से जुड़े व्यक्तियों के पास था।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि शराब कार्टेल ने आंध्र प्रदेश राज्य में डिपो से खुदरा दुकानों तक शराब के परिवहन के माध्यम से अवैध लाभ अर्जित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया था। केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी और अंजनी कुमार ने तत्कालीन एपीएसबीसीएल के प्रबंध निदेशक डोंतिरड्डी वासुदेव रेड्डी के साथ सक्रिय मिलीभगत करके प्रचलित दरों से काफी अधिक दरों पर शराब परिवहन की निविदा प्राप्त करने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, जिससे अपराध से अर्जित आय उत्पन्न हुई। जांच में सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और हेरफेर की गई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अनुबंध प्राप्त करने के लिए एसएससीएसपीएल का उपयोग एक फ्रंट संस्था के रूप में किया गया। हालांकि, परिवहन कार्य का वास्तविक निष्पादन एवं परिचालन नियंत्रण तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी *उर्फ* किरण कुमार तथा उनके सहयोगियों द्वारा किया गया, जो केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी *उर्फ* राज के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य कर रहे थे।

ईडी की जांच में सामने आया कि करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव ने अपने पुत्र करुमुरी सुनील कुमार के साथ मिलकर अपने राजनीतिक प्रभाव तथा शराब परिवहन सिंडिकेट के सदस्यों, विशेष रूप से केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी, तुकेकुला ईश्वर किरण कुमार रेड्डी और डोंतिरड्डी वासुदेव रेड्डी के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का लाभ उठाते हुए शराब परिवहन के उप-ठेकों के आवंटन पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित किया तथा उससे महत्वपूर्ण अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त किए।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव और उनके पुत्र करुमुरी सुनील कुमार ने शराब परिवहन के लिए एसएससीएसपीएल के एक डमी उप-ठेकेदार के रूप में एम/एस श्री सुदर्शना कंस्ट्रक्शंस की व्यवस्था की, जबकि वास्तविक परिवहन का कार्य करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव और उनके पुत्र करुमुरी सुनील कुमार द्वारा व्यवस्थित अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा किया गया। यह सामने आया कि धनराशि को इसके बैंक खातों में डायवर्ट करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एम/एस श्री सुदर्शना कंस्ट्रक्शंस द्वारा एसएससीएसपीएल के नाम पर बढ़े हुए मूल्य के चालान जारी किए गए। इस प्रकार प्राप्त धनराशि को करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त, परिवहन से प्राप्त धनराशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग एम/एस श्री सुदर्शना कंस्ट्रक्शंस और उससे जुड़े व्यक्तियों द्वारा करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव तथा उनके परिवार के सदस्यों की ओर से किए गए व्यक्तिगत खर्चों के भुगतान के लिए किया गया।

ईडी की जांच में आगे यह स्थापित हुआ कि इस प्रकार अर्जित अपराध से अर्जित आय का उपयोग करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव और करुमुरी सुनील कुमार द्वारा लग्जरी संपत्तियों, जिनमें उच्च श्रेणी के मोटर वाहन और लग्जरी घड़ियां शामिल हैं, के अधिग्रहण, अचल संपत्तियों की खरीद के लिए अग्रिम भुगतान, राजनीतिक फंडिंग तथा प्रत्यक्ष बैंकिंग हस्तांतरण और नकद लेन-देन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तिगत एवं पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। इस प्रकार अपराध से अर्जित आय के उपयोग को वास्तविक व्यावसायिक आय के रूप में प्रदर्शित किया गया।

इससे पूर्व, ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 11.06.2026 को केसिरेड्डी राजा शेखर रेड्डी और डोंतिरड्डी वासुदेव रेड्डी तथा 18.06.2026 को करुमुरी वेंकट नागेश्वर राव के पुत्र करुमुरी सुनील कुमार को गिरफ्तार किया था। पहले गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इसके अतिरिक्त, 06.08.2026 को 37.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों की कुर्की के लिए अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था तथा 07.08.2026 को पहले गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष प्रथम अभियोजन परिवाद दायर किया गया था।

मामले में आगे की जांच जारी है।